न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या – 27 / 2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01 नरपत सिंह पुत्र हमीर सिंह 02 अर्जुन सिंह पुत्र हमीर सिंह 03 मोहर कंवर पत्नी हमीर सिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण दईपड़ा खिचियान, तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01 कल्याण सिंह पुत्र छोग सिंह 02 मोती सिंह उर्फ भैरोसिंह पुत्र छोग सिंह 03 आम सिंह पुत्र बखतावर सिंह 04 दीप सिंह पुत्र बखतावर सिंह 05 किशोर सिंह पुत्र बखतावर सिंह 06 पुखराज सिंह पुत्र बखतावर सिंह 07 पप्पु सिंह पुत्र बखतावर सिंह 08 हवा कंवर पत्नी बखतावर सिंह 09 भवर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह 10. गोप सिंह पुत्र सुल्तान सिंह 11 करण सिंह पुत्र हेम सिंह 12 भवरी कवर पत्नी हेम सिंह 13 मोहन सिंह पुत्र फोज सिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण दईपड़ा खिचियान, तहसील लूणी जिला जोधपुर। 14 यूको बैंक धवा, जिला जोधपुर 15. तहसीलदार लूणी।

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत खातेदारी घोषणा,बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति –

11. वादीगण की और से अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह उपस्थित
12. प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक – 30/12/2020

वादीगण के वाद तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नं. 308 रकबा 55 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं. 323 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 160 बीघा 7 बिस्वा भूमि मौजा दईपड़ा खिचियान तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आयी हुयी है। उक्त भूमि पर वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता व दादा छोगसिंह का वक्त जागीरी से 1/2 की भूमि पर कब्जा व काश्त था। वादीगण के दादा छोगसिंह के भाई सुल्तानसिंह का भी वक्त जागीरी से 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त था। वादीगण के दादा छोगसिंह का देहांत सेटलमेंट से पूर्व हो गया था। वादीगण के दादा छोगसिंह जीवित रहे तब तक जागीरदार को अपने 1/2 हिस्से की भूमि का लगान अदा किया। वक्त जागीरी छोगसिंह खातेदार काश्तकार के रूप मे काबिज थे। जब तक वह जीवित रहे तब तक उनका ही 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र कल्याण सिंह, भैरोसिंह व बखतावर सिंह हमीर सिंह व सोहन सिंह का कब्जा काश्त रहा है। सोहनसिंह नाऔलाद फौत हो चुके है। इस कारण छोगसिंह के चारो पुत्रों का ही 1/2 हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा व काश्त चला आ रहा है। हमीर सिंह व बखतावर सिंह का देहान्त हो चुका है। हमीर सिंह के वारिसान वादीगण है तथा बखतावर सिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 8 है। वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के पिता की आयु मात्र 4 वर्ष थी। उस समय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

बेरसावार सिंह मोती सिंह व कल्याण सिंह ने अपने नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज करवा दी। वादीगण के पिता हमीर सिंह जीवित होते हुए भी उक्त भूमि मे खातेदारी दर्ज नही की। उक्त भूमि रेवेन्यू रेकर्ड से पैतृक भूमि साबित हो रही है। इस कारण वादीगण को 1/2 हिस्से की भूमि मे से 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा व दावा पेश कर रहे है। तथा खातेदार घोषित होने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच बटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा भी पेश कर रहे है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया प्रतिवादीगण ने जवाब दावे को स्वीकार किया है तथा इस बाबत सहमति प्रकट की है। एव राजीनामा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। ऐसी स्थिति मे अनपक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने वाद को स्वीकार किया कि खेत खसरा नं. 308 रकबा 55 बीघा 12 बिस्वा व खसरा न. 323 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे वादीगण का 1/2 हिस्से मे से 1/4 हिस्सा बनता है। उक्त राजीनामा मे वादीगण की पहचान अधिवक्ता ईश्वरसिंह द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता भागीरथ बिश्नोई द्वारा की गई। वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा के तथ्य को स्वीकार किया है।

बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । चूकी यका सेटलमेन्ट से वादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियों मे वादीगण के पिताजी का नाम ही दर्ज नही था तथा न ही कब्जा कास्त इत्यादी के दस्तावेज मे वादीगण के पिताजी का नाम दर्ज है ऐसी स्थिति मे वादी के वाद को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी ।
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner